भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2725 का उत्तर

प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर रद्द किए जाने संबंधी शुल्क

2725. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों को रेलगाड़ियों में सीटों की कमी के कारण स्वयं रेलवे द्वारा रद्द किए जाने पर भी रद्द किए जाने का प्रभार लगाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेलवे द्वारा रद्द किए गए उक्त प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर ऐसे रद्द किए जाने के प्रभारों को माफ करने का है;

(ग) क्या सरकार के पास टिकट रद्द किए जाने के शुल्क से अर्जित राजस्व की राशि के संबंध में आंकड़े हैं, यदि हां, तो विगत तीन वित्तीय वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस राजस्व का उपयोग यात्री रेलगाड़ियों में सेवाओं में सुधार करने और मेल रेलगाड़ियों में नए डिब्बे लगाने के लिए किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रद्द किए जाने के लिए प्रभारों और यात्रियों पर लगाए गए समान प्रभारों के उपयोग पैटर्न का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम, 2015 के अनुसार आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से रद्द की गई टिकटों सहित सभी प्रतीक्षा सूची वाली

टिकटों को रद्द करने पर लिपिकीय प्रभार लगाया जाता है। इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची वाली टिकटें अग्रिम आरक्षण अवधि के दौरान कन्फर्म/आरएसी टिकटों के रद्द होने पर खाली जाने वाली बर्थों के लिए जारी की जाती हैं। इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची वाली टिकट के यात्रियों के पास अपग्रेडेशन योजना के तहत अपग्रेड होने या विकल्प योजना के तहत वैकल्पिक रेलगाड़ी में स्थानांतरित होने का विकल्प भी है।

(ग): टिकटों के रद्दकरण के कारण जमा की गई राशि को अलग से नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ): रद्दकरण सहित सभी स्रोतों से उत्पन्न राजस्व रेलवे की कुल प्राप्तियों का हिस्सा बनता है, जिसका उपयोग राजस्व व्यय के तहत अनुरक्षण और परिचालन से संबंधित कार्य व्यय और परिसंपत्तियों के नवीकरण/प्रतिस्थापन, ग्राहक सुविधाओं और अन्य अलाभकारी विकास कार्यों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए किया जाता है।

*****